<u>न्यायालय-सिविल जज (जू०डि०), गाजीपुर।</u>

मूल वाद संख्या-843/2022

नन्दू गुप्ता **बनाम** गंगिया देवी आदि।

दिनांक-21.01.2025

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०),

गाजीपुर

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। उभय पक्ष की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित हैं। आज की अनुपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को वाद चलाने में कोई रूचि नही है। अतः उभय पक्ष की अनुपस्थिति में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उभय पक्ष की अनुपस्थिति में मूल वाद संख्या 843/2022 नन्दू गुप्ता बनाम गंगिया देवी आदि खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०),

गाजीपुर